राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : सन 2018

1. अंकित राठौड पुत्र नरपतसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. प्रवीणसिह पुत्र कराणीसिह जाति राजपूत निवासी आपूवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नरपतसिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
2. करणीसिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
3. विनोदसिह पुत्र करणीसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
4. निकेत राठौड पुत्र नरपतसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
5. प्रेमकंवर पत्नि भंवरसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
6. इन्द्रकंवर 7 विनोद कंवर पुत्रीया भंवरसिह जाति राजपुत निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

8. रमन कंवर 9 कैलाश पुत्रीया करणीसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 48/52 के खसरा न0 32/3 की 10.6990हैक्ट भूमि वादीगण के दादा भंवरसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसकी पत्नि पुत्रों एवं पुत्रीयों के नाम से दर्ज हुई अर्थात प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 7 के नाम से दर्ज है उक्त भूमि विरास्तन से उक्त के नाम से दर्ज हाने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,8 ,9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,6 ,7 स्वय उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में पैतृक जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा भवंरसिह के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,6 ,7 के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवाद संख्या 1 ता 9 का हक हिस्सा है। तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने अपने हकों का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो

किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 48/52 के खसरा न0 32/3 की 10.6990हैक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–जसाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

वाद सं0 : 49 सन 2018

1. अंकित राठौड पुत्र नरपतसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 प्रवीणसिह पुत्र कराणीसिह जाति राजपूत निवासी आपूवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 नरपतसिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
2 करणीसिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
3 विनोदसिह पुत्र करणीसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
4 निकेत राठौड पुत्र नरपतसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
5 प्रेमकंवर पत्नि भंवरसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
6 इन्द्रकंवर 7 विनोद कंवर पुत्रीया भंवरसिह जाति राजपुत निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
8. रमन कंवर 9 कैलाश पुत्रीया करणीसिह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक– 18.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 48/52 के खसरा न0 32/3 की 10.6990हैक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SM Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट– जसाना